<u>न्यायालय:— न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला—अशोकनगर</u> (पीठासीन अधिकारी:—जफर इकबाल)

<u>फाइलिंग नंबर 235103001562011</u> <u>दांडिक प्रकरण क.—123/11</u> संस्थापित दिनांक—11.04.2011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :— आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।
अभियोजन
विरुद्ध
01—तोफान पुत्र बलवंत जाति हरि0 उम्र 40 वर्ष निवासी
फतेहाबाद 02—मुन्नीबाई पत्नी तोफान हरिजन उम्र 35 वर्ष निवासी फतेहाबाद
03—रामिकशन पुत्र तोफान हरिजन उम्र 19 साल निवासी फतेहाबाद
आरोपी
राज्य द्वारा :– श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.। आरोपीगण द्वारा :– श्री गौरव जैन अधिवक्ता।ं

—: <u>निर्णय</u> :— <u>(आज दिनांक 09.03.2017 को घोषित)</u>

- 01— आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 341, 294, 323, 324, 34 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।
- 02- प्रकरण में आरोपीगण की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।
- 03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपीगण का फरियादी एवं आहत से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपीगण को भादिव की धारा 323/34, 294 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादिव की धारा 324/34 के संबंध में पारित किया जा रहा है।
- 04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी किरनबाई ने दिनांक 07.03.11 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक को उसका बच्चा सतीश तथा मुन्नीबाई का बच्चा तिलक तथा मोहल्ले के छोटे बच्चे लोग पहाड सिंह की छत पर गच्चा खेलने में सीमेंट खोदकर गडडा कर दिया था। इसी बात पर से उसके मकान के सामने घटना वाले दिन सुबह 10 बजे तोफान हरिजन,

मुन्नीबाई, रामिकशन, राजू हिरेजन ने आकर तमाम उल्टी सीधी बात कीं तथा तोफान हिरेजन, राजू हिरेजन, रामिकशन उसे मादरचोद, बहनचोद की बुरी बुरी गालियां देने लगे। उसने गालियां देने से मना किया तो तोफान हिरेजन ने एक कुल्हाडी मारी जो उसके माथे पर लगी जिससे चोट आकर खून निकला तथा तोफान ने धक्का दिया जिससे वह नीचे गिर गई जिससे घुटने में चोट आई। आदमी अशोक ने उसे बचाया तो तोफान, मुन्नीबाई, राजू ने आदमी के साथ मारपीट की जिससे उसे चोट आईं। जब वह रिपोर्ट करने आए तो आरोपीगण ने उनका रास्ता रोक लिया। फिरयादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध कमांक 124/11 के अंतर्गत भादवि की धारा 341, 294, 323, 324, 34 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

- 05— प्रकरण में आरोपीगण के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 294, 323 / 34, 324 / 34 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।
- 06- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--
 - 1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 07.03.11 को समय सुबह 10 बजे फरियादी किरन को कुल्हाडी से सामान्य आशय के अग्रसरण में मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

- 07— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 किरन, अ.सा. 02 अशोक की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।
- 08— अभियोजन साक्षी 01 किरन ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को जानती है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को उसका आरोपी से वाद विवाद हो गया था। उक्त साक्षी ने रिपोर्ट लेखबद्ध कराना व्यक्त किया है, किंतु इस बात से इंकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपी द्वारा कुल्हाडी से उसके साथ मारपीट की गई थी। उक्त साक्षी ने पुलिस कथन प्रपी 03 भी देने से इंकार किया है। अ.सा. 02 अशोक ने भी अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को आरोपी से बच्चों के झगडे पर कहासुनी हो गई थी। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपी द्वारा उसकी पत्नी को कुल्हाडी से मारा गया था। उक्त साक्षी ने पुलिस कथन प्रपी 04 देने से इंकार किया है। उक्त साक्षी के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभियोजन द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से ऐसा प्रकट होता है कि घटना दिनांक को दोनों पक्षों के मध्य वाद विवाद हो गया था तथा इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं हुआ। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता कि घटना दिनांक को आरोपी द्वारा फरियादी के साथ कुल्हाडी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की गई।
- 09— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपीगण को भादवि की धारा 324/34 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 10— आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

11- प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।

12— आरोपीगण अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)